राजस्थान–सरकार

न्ययालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री विवेक व्यास (आरएएस)
राजस्व विविधः– प्रार्थना पत्र संख्याः– 31/2024

तारीख दायराः– 05.03.2024

प्रार्थीः– खुमाराम पुत्र हिन्दुराम बनाम अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–1 श्री खुमाराम प्रार्थी
2 श्री शंकरलाल नायब तहसीलदार देसूरी, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः– 05.03.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी के नाम ग्राम सादडी चक 2 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 323 खसरा नंबर 5887 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 5889 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 5890 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 2.15 हैक्टर कुल लगान 25.80 रूपये की कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा की भूमि आती है।

जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या नया 323 में प्रार्थी का नाम खुमा पुत्र हिन्दू 1/2 हिस्सा जाति मीणा दर्ज कर दिया गया है। उक्त नाम की प्रविष्टी अशुद्ध दर्ज की गई है। उक्त त्रुटी को सुधारा जाकर खुमाराम पुत्र हिन्दुराम जाति मीणा 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ साक्षी में राशन कार्ड की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, जनआधार कार्ड की फोटो प्रति एवं यूकों बैंक सादडी में खाता संख्या 03790100008446 प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी खुमाराम एवं पेरोकार सरकार को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी ग्राम सादडी चक 2, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक खाता का अवलोकन किया गया, अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम खुमाराम पुत्र हिन्दुराम दर्ज है। जबकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का अशुद्ध नाम खुमा पुत्र हिन्दु दर्ज कर दिया गया है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्था भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 में नाम शुद्धि की अशुद्ध प्रविष्टि खुमा पुत्र हिन्दु की शुद्धि की जाकर सम्मान जनक नाम खुमाराम पुत्र हिन्दुराम जाति मीणा ग्राम सादडी चक 2 दर्ज करने की प्रविष्टि में नाम की शुद्धि का आदेश दिया

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

जाता है। तहसीलदार देसूरी खुमा पुत्र हिन्दु के बजाय राजस्व रेकर्ड में खुमाराम पुत्र हिन्दुराम की प्रविष्टि दर्ज की जावे। राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार अमलदरामद किया जावे निर्णय की सत्यापित प्रति तहसीलदार देसूरी को पालना हेतु भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

5/3/2024

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner